न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 66/2018 (223 आरटीए) निंबाराम वगै. बनाम डोली बनाम मंदिर महादेव

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00195)

1 निंबाराम पुत्र रामूराम,
2 पांचाराम पुत्र रामूराम,
3 भगताराम पुत्र रामूराम,
सभी जाति जाट निवासी ग्राम ढंढोरा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।

.... अपीलांट

बनाम

1 डोली बनाम मंदिर महादेव द्वारा मोहनगिरी पुत्र सिंहगिरी निवासी ढंढोरा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर बहैसियत बनावटी पुजारी मंदिर श्री महादेव बमुकाम ढंढोरा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
2 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार भोपालगढ़ जिला जोधपुर।

.... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ के निर्णय दिनांक 01.05.2018 एवं डिक्री दिनांक 22.05.2018 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 64/2009

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री आर.पी. चौधरी।
2 रेस्पो. सं. 1 व उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3 रेस्पो. सं. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 20.09.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ के राजस्व वाद सं. 64/2009 में पारित निर्णय दिनांक 01.05.2018 एवं डिक्री दिनांक 22.05.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ के समक्ष धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा तथाकथित बनावटी महादेव मंदिर का पुजारी बनकर राजस्व वाद सं. 64/2009 पेश कर लिखा कि वह वाद मित्र की हैसियत से वाद प्रस्तुत कर रहा है। ग्राम ढंढोरा में आई भूमि खसरा नं. 451 रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा भूमि किस्म

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

बी-द्वितीय मंदिर की खुदकाश्त खातेदारी गलत बताकर मंदिर की ओर से काश्त बताकर अपीलांट्स पर बदमाश व झगड़ालू का आरोप बिना सबूत लगाकर बताया कि अपीलांट्स (प्रतिवादीगण) ने विवादग्रस्त भूमि पर दिनांक 20.09.1998 को कब्जा कर लिया है, जो अतिक्रमी है, जिनको बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का निवेदन किया। तथा कथित बनावटी फर्जी पुजारी रेस्पोडेंट सं. 1 (वादी) के वादपत्र का प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 (अपीलांट्स) द्वारा जवाबदावा पेश कर लिखा कि रेस्पोडेंट-वादी वादमित्र बनने की योग्यता नहीं रखता है तथा वादी किसी भी मंदिर का पुजारी न ही तो पूर्व में था तथा न ही आज है, वादी शराबी व बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वादग्रस्त भूमि महादेव मंदिर की खुदकाश्त की भूमि कभी नहीं रही और न वर्तमान में हैं, वादी ने मात्र निजी व्यक्तिगत हित के लिए अपीलांट्स (प्रतिवादीगण) के विरुद्ध वाद पेश किया है जो खारिज फरमाया जावे। अपीलांट दिनांक 02.07.1970 से जरिए जरिए रजिस्टर्ड सद्भाविक खातेदार की श्रेणी में आता है तथा काबिज काश्त है तथा खातेदार को उसकी भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है। जवाबदावा के साथ अपीलांट द्वारा वादी के विरुद्ध काउंटर वाद पेश कर जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रेस्पोडेंट को पाबंद करने हेतु अनुतोष की मांग की थी इस प्रकार वाद पत्र व जबाबदावे के आधार पर 12 तनकीयात कायम की गई। अपीलांट्स की ओर से दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश कर अधीनस्थ न्यायालय के सम्मुख तनकी अनुसाद दावे को साबित कर देने के उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स का काउंटर वाद दिनांक 28.02.2007 को खारिज कर वादी का वाद डिक्री कर दिया। जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर में की गई। इस अपील के निर्णय दिनांक 12.02.2009 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2007 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि "उभयपक्षकारान को पुनः साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाने का इन आब्जर्वेशन एवं दस्तावेजी साक्ष्य के परिपेक्ष्य में तनकी वार समुचित विवेचन एवं विश्लेषण पारित करते हुए मूल वाद का नए सिरे से न्यायोचित एवं विधि सम्मत निस्तारण करने का आदेश दिया।" लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश की पालना नहीं कर अपीलांट्स व अपीलांट्स के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में न्याय आपके द्वार 2018 कैंप मंगेरिया में विधि विरुद्ध निर्णय दिनांक 01.05.2018 को पारित कर पूर्व निर्णय दिनांक 28.02.2007 को विधिवत मानते हुए वादी का वाद दिनांक 22.05.2018 को डिक्री कर दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.05.2018 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री आर.पी. चौधरी ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि आलोच्य आदेश विधि विरुद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से अपीलांट्स की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय मनमाने ढंग से एकतरफा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर नहीं देकर एकतरफा मानस बनाकर एवं पूर्ण धारणा से ग्रसित होकर अपीलांट्स द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। अपील सं. 48/2007 के निर्णय दिनांक 12.02.2009 में दिए गए निर्देशों की पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नाम मात्र भी पालना नहीं कर अपीलांट्स को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नहीं देकर मनमाना आदेश पारित किया है। आदेशिका दिनांक 26. 05.2014 को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स के दस्तावेजों को रिकार्ड पर लेने का आदेश अपील में दिए गए निर्देशों की पालना में दिया था यानी कि अधीनस्थ न्यायालय को अपील में दिए गए निर्देशों की जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली प्रार्थना पत्र के आदेश हेतु विचाराधीन थी उसके बावजूद भी पूर्व आदेशिकाओं की अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय विधि विरुद्ध पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के अपील में दिए गए निर्देशों की पालना नहीं कर अपीलांट्स का साक्ष्य नहीं लेकर, तनकीयात के बारे में विश्लेषण नहीं कर पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड की अनदेखी करते हुए निर्णय व डिक्री पारित किया है जो प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है। अपीलाधीन निर्णय दिनाक 01.05.2018 व डिक्री पर्चा दिनांक 22.05.2018 में विरोधाभास है इसलिए भी अधीनस्थ न्यायायल का निर्णय व डिक्री पर्चा बहाल रखने योग्य नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.05.2018 व डिक्री पर्चा दिनांक 22.05.2018 को खारिज फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड करने का निवदेन किया।

6 रेस्पो. सं. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि मंदिर की है जिस पर किसी निजी व्यक्ति के खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में तकनीकी त्रुटि व अनियमितता हो सकती है लेकिन इस त्रुटि व अनियमितता से निर्णय की मैरिट पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कानूनी दृष्टि से सही है तथा अपील खारिज योग्य है। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि अपील सं. 48/2007 के निर्णय दिनांक 12.02.2009 में इस न्यायालय (राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर) द्वारा दिए गए निर्देशों की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पालना नहीं की है एवं अपीलांट्स को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तथा मनमाना आदेश पारित किया गया है।

इस न्यायालय द्वारा अपील सं. 48/2007 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 12.02.2009 का अवलोकन किया गया। इस निर्णय के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक तौर पर स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2017 को अपास्त किया गया था व प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि उभयपक्षकारान को पुनः साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे एवं उपरोक्त विवेचन एवं दस्तावेजी साक्ष्य के परिपेक्ष्य में तनकीवार समुचित विवेचन एव विश्लेषण कर निष्कर्ष पारित करते हुए मूल वाद का न्यायोचित एवं विधिसम्मत निस्तारण किया जावे।

9 अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त इस न्यायालय के उक्त अपील में दिए गए निर्देशों की पालना में प्रकरण पुनः दिनांक 18.05.2009 को दर्ज किया गया। व उभयपक्षकारान को नोटिस जारी किए गए। दिनांक 30.07.2010 को वकील वादी उपस्थित हुए तथा दिनांक 05.08.2013 को प्रतिवादी सं. 1 2 व 3 की ओर से वकील श्री आर.पी.चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। पत्रवली को वास्ते जबाब में रखा गया कई अवसर देने के बाद पत्रावली में जबाब बंद किया गया। तत्पश्चात दिनांक 26.05.2014 को प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत खतौनी बंदोबस्त जो दिनांक 10.03.2014 को पेश की गई थी को रिकार्ड पर लिया गया। उसके बाद पत्रावली मिशल वास्ते प्रार्थना पत्र आदेश हेतु चलती रही लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रार्थना पत्र के जबाब में चलती। इससे यह प्रतीत होता है कि यह त्रुटिवश अंकित किया गया है। उसके बाद पत्रावली को दिनांक 01.05.2018 को लोक अदालत, न्याय आपके द्वार कैंप कोर्ट मंगेरिया में रखा गया। जिसके लिए पक्षकारान को नोटिस जारी किए गए। दिनांक 01.05.2018 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो इस प्रकार है :–

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार 2018 कैंप मंगेरिया पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति बाबत जारी नोटिस तामील होकर प्राप्त जो शामिल पत्रावली हैं। पत्रावली का न्याय आपके द्वार 2018 में मैरिट के आधार पर निस्तारण हेतु अवलोकन किया जिसके अनुसार वादी की तरफ से वाद मित्र का वाद अंतर्गत धारा 183 रा.का. अधि. 1955

में पूर्ववर्ती निर्णय दिनांक 28.02.2007 विधिवत है। अतः न्यायालय अपने पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 28.02.2007 को यथावत विधिक घोषित करता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो निर्णय मजमे आम सुनाया गया।

10. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं आपत्ति जनक है। इस न्यायालय द्वारा प्रकरण अपील सं. 48/2007 में पारित निर्णय के अनुसार प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि उभयपक्षकारान को पुनः साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे एवं उपरोक्त विवेचन एवं दस्तावेजी साक्ष्य के परिपेक्ष्य में तनकीवार समुचित विवेचन एव विश्लेषण कर निष्कर्ष पारित करते हुए मूल वाद का न्यायोचित एवं विधिसम्मत निस्तारण किया जावे। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त आदेश को ही निर्देशों की पालना किए बिना ही अपने आदेश दिनांक 01.05.2018 के द्वारा विधिवत घोषित कर दिया। इस प्रकार निरस्त आदेश को सीधा ही विधिक घोषित करना न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध है एवं अपीलीय न्यायालय के आदेशों को उल्लंघन की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में पुनः तनकी वाईज विवेचन करके उचित निर्णय पारित किया जाता। हालांकि इस प्रकरण में पूर्व में साक्ष्य आदि हो चुके हैं तथा उभय पक्षकारान की बहस सुनकर निर्णय पारित किया था परंतु अपीलीय न्यायालय ने मुख्य रूप से तनकी सं. 1 जो सबसे महत्वपूर्ण तनकी थी को अपील स्तर पर प्रस्तुत खतोनी बंदोबस्त संवत 2011–2030 को रिकार्ड पर लिया जाकर व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.06.71 तथा पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 02.03.1970 जिसके अनुसार मु. रूपी द्वारा प्रतिवादी अपीलांट पांचाराम के हक में बेचान किया गया के अनुसार पुनः विवेचन किया जाना अपेक्षित था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने केवल दस्तावेज खतोनी बंदोबस्त संवत 2011–30 को रिकार्ड पर लिया परंतु उसके बाद तनकी सं. 1 का पुन : विवेचन नहीं किया।

चूंकि अपील के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली उपलब्ध है तथा समस्त रिकार्ड भी उपलब्ध है। इस प्रकरण में साक्ष्य आदि की कार्यवाही पूर्व में ही हो चुकी है अतः प्रकरण में केवल उपलब्ध साक्ष्य सबूत व दस्तावेजों के संदर्भ में तनकी सं. 1 का विस्तृत विवेचन ही किया जाना है अतः इसके लिए प्रकरण को रिमाण्ड करने के बजाय इस न्यायालय स्तर पर ही विवेचन किया जाकर वाद का निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

तनकी सं. 1 : आया खेत खसरा नं. 451 रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा मौजा ढंढोरा तहसील भोपालगढ़ डोली बनाम मंदिर महादेव जी की होने से

वादी प्रतिवादीगण को बेदखल करने का अधिकारी है। ... जिम्मे वादी। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी के जिम्मे था। वादी द्वारा वादपत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी नकल संवत 2052 से 2052 तक (प्रदर्श–3) की गई हैं। उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 451 रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा मौजा ढंढोरा डोली बनाम मंदिर महादेव वाके देह खातेदार (परिपत्र क्रमांक प–2/4/राज/4/90/37 दिनांक 13.12.91 दर्ज है। प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम था कि वादग्रस्त आराजी वक्त बंदोबस्त पुजारी मोती पुरी की डोलीदार की हैसियत से 1/2 हिस्से की खुदकाश्त तथा 1/2 हिस्से समिरथपुरी की खातेदारी थी। इन दोनों खातेदारों की मृत्यु होने पर वारिस हक से रूपी देवी के नाम दर्ज हुई तथा रूपी देवी ने प्रतिवादी पांचाराम को दिनांक 2.3.1970 को बेचान कर काबिज करा दिया। तभी से प्रतिवादीगण की खातेदारी और कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रतिवादीगण ने इस कथन को साबित करने हेतु दिनांक 10.04.2014 को खतोनी बंदोबस्त संवत 2011–2030 प्रस्तुत की है। यह प्रमाणित प्रतिलिपि है जिसे विधिवत रिकार्ड पर लिया जा चुका है। खतोनी बंदोबस्त का संवत 2011–2030 का अवलोकन किया गया। जिसमें भोक्ता के कॉलम नं. 3 में डोली बनाम मंदिर श्री महादेव जी वाके देह बएतमाम पुजारी मोतीपुरी वल्द पीरपुरी कौम गुसाई सा. देह डोलीदार अंकित है। उपभोक्ता के कॉलम नं. 4 में खुदकाश्त 1/2 सिमरतपुरी वल्द गोकलपुरी कौम सामी 1/2 सा.देह खातेदार अंकित है। कॉलम नं. 5, 6 व 7 में खसरा नं. 451 रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा बारानी दोयम अंकित है। इस बंदोबस्त खतोनी से यह स्पष्ट है कि खसरा नं. 451 रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा एक ही खसरा है। जो कॉलम नं. 3 के अनुसार डोली बनाम मंदिर श्री महादेव जी वाके देह बएतमाम पुजारी मोतीपुरी वल्द पीलपुरी कौम गुसाई सा.देह डोली दार अंकित होने से वादग्रस्त भूमि डोली बनाम मंदिर श्री महादेव जी की प्रमाणित है साथ में पुजारी का नाम लिखने की परंपरा के कारण पुजारी मोतीपुरी वल्द पीरपुरी का नाम अंकित है। कॉलम नं. 4 में इस भूमि का 1/2 हिस्सा खुदकाश्त व 1/2 हिस्सा सिमरतपुरी वल्द गोकलपुरी कौम सामी सा.देह खातेदार है अंकित है। इससे यह तो प्रमाणित ही है कि 1/2 भूमि तो मंदिर की खुदकाश्त की है। तथा 1/2 हिस्से में उपभोक्ता के रूप में सा.देह खातेदार है अर्थात मूल रूप से यह भूमि मंदिर की ही है। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है अतः उसकी भूमि में एक ही खसरा नं. में किसी अन्य खातेदार का नाम शामिल नहीं हो सकता। अतः यह संपूर्ण भूमि मंदिर की है। भूमि मंदिर की होने के कारण राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के द्वारा वक्त बंदोबस्त जो भमि मंदिर, मूर्ति, डोली के नाम दर्ज थी उन भूमियों में पुजारियों ने अपने नाम का दुरुपयोग कर उक्त भूमियों को आगे हस्तांतरण/बेचान कर दी थी। उन भूमियों का वक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी

2019 प्राधिकारी
राजस्व अपील
जोधपुर

बंदोबस्त के इन्द्राज पुनः दर्ज करने के आदेश दिए गए थे अर्थात मंदिर, मूर्ति, डोली की भूमि में पुजारियों ने अपने नाम जुड़वा लिए थे तो उनको हटाने तथा पुजारियों द्वारा आगे बेचान कर दिया था तो भी पुनः मूल वक्त बंदोबस्त का इन्द्राज करने का आदेश दिया था। वादग्रस्त आराजी में भी राजस्व विभाग ने उक्त परिपत्र दिनांक 13.12.91 के अनसार वक्त बंदोबस्त का इन्द्राज बहाल किया था। प्रतिवादी का कथन है कि वक्त बंदोबस्त वादग्रस्त आराजी पुजारी मोती पुरी व सिमरथपुरी की खुद काश्त की थी। इस संबंध में बंदोबस्त खतोनी संवत 2011–2030 पेश की गई है। लेकिन जैसा कि पूर्व में विवेचन किया जा चुका है कि इस खतोनी के आधार पर भी भूमि मंदिर की ही प्रमाणित होती है। अतः वर्तमान में जो इन्द्राज किए गए हैं वे सही प्रमाणित होते हैं। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से वे गलत सिद्ध नहीं हुए हैं। अतः वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड से डोली बनाम मंदिर महादेव जी वाके देह की खातेदारी की साबित है तथा प्रतिवादी ने जिस तथा कथित बेचान दिनांक 2.3.1970 से क्रय करना बताया है वह बेचान वादी के हितों के विपरीत होने से ऐसा बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 तथा 46 में आने से प्रारंभतः शून्य है तथा वादी प्रतिवादीगण से कब्जा पुनः प्राप्त करने का हकदार है। इसके अलावा यह वाद धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत है जिसमें खातेदारी अधिकार की घोषणा पर विवेचना नहीं की जा सकती है। खातेदारी अधिकारों की विवेचना घोषणात्मक वाद में ही की जाती है। राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि डोली बनाम मंदिर महादेव के नाम दर्ज है तो इस भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना सिद्ध हो जाता है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

इस प्रकरण में मुख्य रूप से पुनः विवेचन तनकी सं. 1 का ही किया जाना था जो पुनः विवेचन में प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जा चुकी है। अन्य तनकीयात का विवेचन अधीनस्थ न्यायालय ने सही किया है तथा अधिकांश तनकीयात का निर्णय तनकी सं. 1 पर आधारित है। अतः अन्य तनकीयात के पुनः विवेचन की आवश्यकता नहीं हैं। अन्य तनकीयात का निर्णय दिनांक 28.02.2007 में किए गए निर्णय के अनुसार उचित प्रतीत होता है। तदनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है तथा प्रतिवादी का काउंटर क्लेम खारिज योग्य है। इस वाद में प्रस्तुत वाद मित्र ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे वह वादग्रस्त आराजी के खातेदार डोली बनाम मंदिर महादेव जी वाके देह का पुजारी साबित हो। अतः मंदिर मूर्ति जो शाश्वत नाबालिग है के हितों रक्षा के लिए वादग्रस्त भूमि को राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 01.06.2006 के अनुसार नायब तहसीलदार भोपालगढ़ की अध्यक्षता मे गठित कमेटी को प्रतिवादी संख्या 1

से 3 तक से लेकर देने का आदेश तहसीलदार भोपाल गढ़ को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

10 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.05.2018 व डिक्री दिनांक 22.05.2018 इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम ढंढोरा तहसील भोपालगढ़ के खेत खसरा नं. 451 रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा डोली बनाम मंदिर महादेव की खातेदारी होने से प्रतिवादीगण का कब्जा अवैध है तथा प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 कब्जा बनाए रखने के अधिकारी नहीं हैं। प्रतिवादीग का काउंटर वाद सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। इस वाद में प्रस्तुत वाद मित्र ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे वह वादग्रस्त आराजी के खातेदार डोली बनाम मंदिर महादेव जी वाके देह का पुजारी साबित हो। अतः वादग्रस्त भूमि को राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 01.06.2006 के अनुसार नायब तहसीलदार भोपालगढ़ की अध्यक्षता मे गठित कमेटी को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक से लेकर देने का आदेश तहसीलदार भोपालगढ़ को दिया जाता है। नायब तसहीलदार भोपालगढ़ उनकी अध्यक्षता में गठित कमेटी की देखरेख में वादग्रस्त भूमि का रख रखाव वादी डोली बनाम मंदिर महादेव जी वाके देह के हित में करें तथा सेवा पूजा की व्यवस्था करावें। वाद के तथ्यों को देखते हुए वाद व्यय पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

20/9/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 20.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/9/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर